

¹[नियम 97क : मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण

इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के इलैक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या उक्त सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न हैं, जारी किए जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 55/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 15.11.2017 द्वारा नियम 97क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.11.2017)।